कार्यालय आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांकः 07 /सी/विकास अनुभाग/लखनऊ दिनांक 05 अप्रैल, 2022

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रगतिशील कृषकों द्वारा नवीन गन्ना किस्मों के बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग के उत्पादन एवं वितरण के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में बहुलता में प्रचलित एवं लोकप्रिय किस्म **को.0238** में रोग एवं कीट के बढ़ते प्रकोप तथा कतिपय नई स्वीकृत किस्में जिनकी उपज एवं चीनी परता **को.0238** किस्म के समतुल्य या अधिक है, के कारण कृषकों में इन नई किस्मों विशेषकर **को.शा.13235, को.लख.14201, को. 15023, को.0118** आदि की मांग अत्यधिक है। कृषक **को.0238** को विस्थापित करने के लिए किसी भी कीमत पर इन नवीन किस्मों का बीज गन्ना पाना चाहते हैं। गन्ना किस्मों की नवीनता, वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रकृति तथा उत्पादन में एक वर्ष का लम्बी अवधि लगने के कारण सम्बन्धित शोध केन्द्रों/अभिजनक बीज उत्पादक संस्थाओं पर सीमित संसाधन के अन्तर्गत उत्पादित बीज गन्ने की मात्रा सीमित रहती है। शोध केन्द्रों पर उत्पादित अभिजनक बीज को आधार एवं प्राथमिक बीज उत्पादन की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अन्तर्गत विभागीय प्रक्रिया द्वारा बीज संवर्धन के लिए उपयोग किये जाने के कारण सामान्य बुआई की मांग के अनुरूप बीज गन्ना की उपलब्धता विभागीय व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हो पा रही है। विभागीय स्रोतों से गुणवत्तापूर्ण बीज गन्ने (Quality seed) की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण कई कृषक किसी तरह प्रमाणित एवं अप्रमाणित स्रोतों से इन किस्मों का बीज प्राप्त कर अपने खेतों पर नर्सरी पौध तैयार कर रहे है और बीज के रूप में मनमाने ढंग से ऊँचें दामों पर दूसरे किसानों को बेच रहे हैं, जबकि इस प्रकार उत्पादित किस्में/सीडलिंग सक्षम स्तर से प्रमाणित नहीं होती है। विगत दिनों में ऐसे कई पौधशाला धारक/बीज विक्रेताओं द्वारा नई किस्मों के नाम पर दूसरी अधोमानक किस्मों के बीज गन्ना अधिक दामों पर विक्रय किये जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुई है। उपर्युक्त प्रक्रिया से न केवल नई किस्मों की आनुवांशिक शुद्धता प्रभावित हो रही है बल्कि वैराइटल मिक्चर एवं रोग–कीटों के अधिक संक्रमण की संभावना भी बढ़ रही है। साथ ही साथ अधोमानक बीज गन्ना के वितरण एवं अत्यधिक दाम लिये जाने के कारण गन्ना विभाग की छवि भी प्रभावित हो रही है।

अतः गन्ना कृषकों में नई किस्मों के बीजों की बढ़ती मांग, गुणवत्तापूर्ण बीज गन्ना के उपयोग के प्रति किसानों की जागरूकता तथा नये बीज गन्ना की आड़ में

कतिपय किसानों द्वारा निजी स्वार्थ/लाभ के लिए दूसरे किसानों के साथ धोखा किये जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए स्वैच्छिक किसानों द्वारा गन्ना बीज/नर्सरी उत्पादन किये जाने को **बीज अधिनियम, 1966 (Seed Act.,1966)** यथा संशोधित, के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

किसी अधिसूचित किस्म के बीज गन्ना की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु इसके उत्पादन एवं विक्रय के संबंध में विस्तृत प्रावधान **बीज अधिनियम, 1966** में वर्णित है। कतिपय सुसंगत प्रावधानों का विवरण निम्नवत् हैः–

धारा–2(11) के अन्तर्गत "बीज" से बोने या रोपण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों के निम्नलिखित वर्गों में से कोई अभिप्रेत हैः–

i. खाद्य फसल के बीज, जिनके अन्तर्गत भक्ष्य तिलहन और फलों तथा शाकों के बीज आते हैं,
ii. बिनौला;
iii. पशुओं के चारे के बीज,
iv. जूट के बीज; और इसके अन्तर्गत खाद्य फसलों या पशुओं के चारे की पौध और कंद, शल्क कंद, प्रकंद, जड़ों, कलमें, सब प्रकार के उपरोपण और कायिक रूप से प्रवर्धित अन्य पदार्थ आते हैं;

धारा–7 के अनुसार कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य के माध्यम से किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज को बेचने, विक्रय के लिये रखने, बेचने की प्रस्थापना करने, उसका वस्तु–विनिमय करने या अन्यथा सन्दाय करने का कारबार तब के सिवाय नहीं चलाएगा जबकि–

(क) उस बीज की किस्म या उपकिस्म के बारे में पहचान हो सके;

(ख) वह बीज धारा 6 के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हो;

(ग) धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबलविहित रूप से उस बीज के आधान पर लगा हो; तथा

(घ) वह अन्य ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करें जो विहित की जाएँ।

धारा–8 के अनुसार राज्य सरकार या उसके परामर्श से केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रमाणन अभिकरण को न्यस्त कृत्यों के पालन के लिये एक प्रमाणन अभिकरण, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्थापित कर सकेगी।

धारा–9 के अनुसार

(1) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म का बीज बेचे, बेचने की प्रस्थापना करे, उसका वस्तु–विनिमय करे या अन्यथा सन्दाय करे, उस बीज को प्रमाणन अभिकरण द्वारा प्रमाणित कराने की वांछा करे, तो वह उस प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र के लिये प्रमाणन अभिकरण से आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन हर आवेदन ऐसे प्रारूप में किया जाएगा, उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी और उसके साथ में ऐसी फीस होगी जो विहित की जाये।

(3) प्रमाण पत्र के अनुदान के लिये ऐसे किसी आवेदन के प्राप्त होने पर प्रमाणन अभिकरण, ऐसी जाँच के पश्चात जो वह ठीक समझे और अपना इस बात का समाधान करने के पश्चात कि वह बीज जिसके सम्बन्ध में आवेदन है उस बीज के लिये {विहित स्तरमान} के अनुरूप है, एक प्रमाणपत्र ऐसे प्रारूप में और ऐसी शर्तों पर अनुदत्त कर सकेगा जो विहित की जाएँ;

{परन्तु ऐसे स्तरमान, धारा 6 के खण्ड (क) में उस बीज के लिये विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं से निम्नतर नहीं होंगे।

धारा–10 के अन्तर्गत यह प्राविधान वर्णित है कि यदि प्रमाणन अभिकरण का, उससे इस निमित्त निर्देश किये जाने पर या अन्यथा, इस बात का समाधान हो जाये कि–

(क) धारा 9 के अधीन उसके द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र किसी आवश्यक तथ्य के बारे में दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है; अथवा

(ख) प्रमाणपत्र का धारक उन शर्तों के अनुपालन में, जिनके अध्यधीन कि प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, युक्तियुक्त हेतु के बिना असफल रहा है या उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन किया है,तो किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसका कि प्रमाण पत्र का धारक इस अधिनियम के अधीन दायी हो प्रमाणन अभिकरण प्रमाण पत्र के धारक को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात प्रमाण पत्र को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

धारा–11 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार कोई व्यक्ति, जो प्रमाणन अभिकरण के धारा 9 या धारा 10 के अधीन के विनिश्चिय से व्यथित हो, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जब उसे वह विनिश्चय संसूचित किया जाये और ऐसी फीस के सन्दाय पर जो विहित की जाये, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये;

परन्तु यदि अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि समय के भीतर अपील फाइल करने में अपीलार्थी पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात भी अपील ग्रहण कर सकेगा।

धारा–13 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार विहित अर्हताएँ रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, बीज निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी और वे क्षेत्र परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

धारा–14 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार (1) बीज निरीक्षक–

(क) निम्नलिखित से किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज के नमूने ले सकेगाः–

i. ऐसे बीज को बेचने वाला कोई व्यक्ति;

ii. कोई व्यक्ति जो किसी क्रेता या परेषिती को ऐसा बीज प्रवहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है;

iii. कोई क्रेता या परेषिती जिसे ऐसे बीज का परिदान हो चुका है;

(ख) ऐसा नमूना उस क्षेत्र के बीज विश्लेषक को, जिसमें वह नमूना लिया गया हो, विश्लेषणार्थ भेज सकेगा;

(ग) किसी ऐसे स्थान में, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, सब युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा; तथा किसी ऐसे बीज को, जिसके बारे में अपराध किया गया है या किया जा रहा है, कब्जे में रखने वाले व्यक्ति को लिखित आदेश दे सकेगा कि वह तीस दिन से अनधिक की विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त ऐसे अधिसूचित बीज के किसी स्टाक का व्ययन न करे, अथवा, तब के सिवाय जबकि अभिकथित अपराध ऐसा हो कि त्रुटि बीज के कब्जाधारी द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसे बीज के स्टाक का अभिग्रहण कर सकेगा;

(घ) खण्ड (ग) में वर्णित किसी स्थान में पाये गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय

किसी अपराध के किये जाने का साक्ष्य हो सकेगा तो उसका अभिग्रहण कर सकेगा;

(ङ) अन्य ऐसी शक्तियों का, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों, प्रयोग कर सकेगा।

धारा–17 के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसमें वह स्वयं आता है) बोए जाने या रोपण के प्रयोजनार्थ, किसी अधिसूचित किस्म या उपकिस्म के बीज का आयात या निर्यात तब के सिवाय न तो करेगा और न करवाएगा, जबकि–

(क) वह उस बीज के लिये धारा 6 खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमाओं के अनुरूप हों; तथा

(ख) उस बीज के लिये धारा 6 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट उसकी ठीक विशिष्टियों से युक्त चिन्ह या लेबल विहित रीति से उसके आधान पर लगा हो।

धारा–19 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति–

(क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा; अथवा
(ख) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन नमूना लेने से निवारित करेगा; अथवा
(ग) बीज निरीक्षक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करने से निवारित करेगा, तो वह दोष सिद्ध किये जाने पर निम्नलिखित प्रकार से दण्डनीय होगा–
   i. प्रथम अपराध के लिये, जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा; तथा
   ii. उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का पहले ही दोष सिद्ध किया जा चुका हो कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से।

धारा–22 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम या तद्धीन

बनाए गए किसी नियम के उपबन्धों को उस राज्य में निष्पादित करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

बीज के उत्पादन एवं वितरण के संबंध में वर्णित उपर्युक्त विधिक प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के गन्ना कृषकों द्वारा बीज गन्ना/सीडलिंग के उत्पादन एवं विक्रय किये जाने की प्रक्रिया को नियंत्रित किये जाने हेतु निम्नवत् निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैंः–

1. ऐसे प्रगतिशील कृषक जो बीज गन्ने का उत्पादन कर दूसरे कृषकों को विक्रय करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें अपने खेत पर बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग के उत्पादन के लिए गन्ना विभाग के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराये बिना बीज गन्ने अथवा सीडलिंग का वितरण मान्य नहीं होगा।
2. ऐसे कृषकों के पंजीकरण हेतु उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर पंजीकरण एजेंसी होगी, जिसके द्वारा कृषकों का पंजीकरण कर पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
3. अभिजनक बीज गन्ने का उत्पादन **उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर** के प्रभावी पर्यवेक्षण में गन्ना शोध परिषद के प्रक्षेत्रों, चीनी मिल प्रक्षेत्रों, गन्ना समिति, प्रक्षेत्रों एवं कृषक प्रक्षेत्रों पर किया जा सकता है किन्तु अभिजनक बीज उत्पादन की सम्पूर्ण देखरेख एवं प्रमाणीकरण उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के अधीन होगा।
4. आधार गन्ना बीज एवं प्राथमिक गन्ना बीज का उत्पादन गन्ना कृषकों के खेतों पर गन्ना विकास विभाग के प्रभावी पर्यवेक्षण में सुनिश्चित किया जायेगा तथा आधार बीज के प्रमाणीकरण के लिए बीज उत्पादन अधिकारी/ जिला गन्ना अधिकारी एवं प्राथमिक बीज के प्रमाणीकरण के लिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक **सक्षम प्राधिकारी** होंगे।
5. ऐसे प्रगतिशील कृषक जो बीज गन्ना/सीडलिंग का उत्पादन कर उसका विक्रय करने के इच्छुक हैं, उन्हें उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर में निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण 03 (तीन) वर्षों के लिए मान्य होगा। इसके पश्चात् प्रत्येक 03 (तीन) वर्षों पर पुनः इसका नवीनीकरण कराना होगा। पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क रू.1,000 (एक हजार) प्रति कृषक होगा। ऐसे पंजीकृत कृषक **बीज गन्ना उत्पादक कृषक** कहलाएंगे।
6. कृषक द्वारा पंजीकरण हेतु अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को प्रेषित किया जायेगा।

7. कृषक को अपने आवेदन पत्र के साथ अपने खेत पर बीज के रूप में उत्पादित की जाने वाली गन्ना किस्म, क्षेत्रफल, उत्पादित सीडलिंग की संख्या, बीज गन्ना हेतु तैयार की जाने वाली फसल के लिए गन्ना बीज प्राप्त करने के स्रोत आदि का विवरण देना होगा। इसी के साथ रू.100 (सौ) के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का वचन देना होगा कि **"मेरे द्वारा बीज गन्ना विक्रेता के रूप में विभाग द्वारा पंजीकृत किये जाने के उपरान्त स्वीकृत गन्ना किस्मों के बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग का उत्पादन एवं विक्रय उसी किस्म के रूप में ही कृषकों को किया जायेगा जिस किस्म के रूप में वह सम्बन्धित शोध संस्थान/सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया है। मेरे द्वारा उत्पादित बीज गन्ना/गन्ना सीडलिंग के वितरण पर विक्रय मूल्य के रूप में वही मूल्य क्रेता कृषक से लिया जायेगा, जिसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी (गन्ना आयुक्त, उ.प्र.) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो। किसी किस्म को छद्म रूप से किसी अन्य लोकप्रिय एवं नव विकसित दूसरी किस्म के रूप में बीज गन्ना का विक्रय नहीं करूंगा। उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत मिलने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाई के लिए गन्ना विकास विभाग बीज अधिनियम, 1966 में वर्णित व्यवस्था तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।"**

8. सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक द्वारा कृषकों के आवेदन का सम्यक् परीक्षण कर बीज उत्पादक कृषक के रूप में अपनी संस्तुति सहित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी के माध्यम से निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को अग्रसारित किया जायेगा।

9. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर द्वारा बीज गन्ना उत्पादक कृषक को, बीज गन्ना उत्पादक कृषक का प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रस्ताव का समुचित परीक्षण किया जायेगा तथा सत्यापन सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समिति का गठन निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के द्वारा किया जायेगा। इस समिति में शोध परिषद के ब्रीडर एवं पादप सुरक्षा से जुड़े वैज्ञानिक, सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी एवं सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सदस्य होंगे। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। तद्नुसार प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा। ऐसे कृषकों को बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग के उत्पादन से सम्बन्धित समस्त विभागीय नियमों एवं समय–समय पर निर्गत निर्देशों का पालन किये जाने की बाध्यता होगी।

10. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर में बीज गन्ना उत्पादक कृषक के रूप में पंजीकरण के उपरान्त सम्बन्धित कृषक प्रदेश में गन्ना बुआई के लिए

अवमुक्त/स्वीकृत उन्नत गन्ना किस्मों की पौधशाला तैयार करने एवं बीज गन्ना अथवा उसकी सीडलिंग का विक्रय कर सकेगें।

11. बीज गन्ना उत्पादक कृषक को, बीज गन्ना के उत्पादन के लिए प्रयुक्त किये गये बीज को वैध स्रोत यथा–गन्ना विभागीय नर्सरी, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर एवं उनके अधिनस्थ शोध केन्द्र, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के शोध फार्म, भारतीय गन्ना प्रजनन सस्थान, कोयम्बटूर सब सेन्टर करनाल, चीनी मिल फार्म या गन्ना आयुक्त द्वारा बीज गन्ना के लिए निर्धारित किये गये अन्य फार्मों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा एवं तैयार की गई बीज गन्ना/सीडलिंग वितरण की सूची का विवरण कम से कम 02 (दो) वर्ष के लिए अनुरक्षित रखना होगा।

12. उ.प्र. में बीज गन्ना संवर्धन एवं गन्ना खेती हेतु स्वीकृत गन्ना किस्मों का ही बीज गन्ना संवर्धन (Seed multiplicatition) किया जायेगा।

13. किसी वाह्य स्रोत अर्थात् दूसरे प्रदेशों में प्रचलित किस्मों अथवा किसी अन्य देश से लाये गये सीड मैटेरियल को प्रदेश में उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में क्वारंटाइन (Quarantine) के नियम लागू होंगे तथा बिना गन्ना आयुक्त, उ.प्र. की अनुमति के ऐसी किस्मों का बीज उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध होगा।

14. उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर में पंजीकृत बीज गन्ना उत्पादक कृषक द्वारा बीज गन्ना/सीडलिंग का विक्रय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा। गन्ना आयुक्त, उ.प्र., बीज गन्ना/सीडलिंग की विक्रय हेतु दर निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

15. गन्ना आयुक्त, अपर गन्ना आयुक्त, संयुक्त गन्ना आयुक्त, परिक्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर, संयुक्त निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अपने अपने कार्यक्षेत्र में बीज निरीक्षक (सीड इंस्पेक्टर) होंगे जो समय–समय पर बीज गन्ना उत्पादकों की पौधशाला का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण बीज गन्ना का उत्पादन सुनिश्चित करायेंगे तथा आवश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही कर सकेंगे।

16. बीज गन्ना उत्पादक कृषक द्वारा सम्बन्धित प्रक्षेत्र पर गन्ना बीज की किस्म, बुआई की तिथि, बीज के स्रोत आदि का एक साइन बोर्ड (4X2 फीट) स्थापित किया जायेगा, जिससे बीज गन्ने के सम्बन्ध में विवरण आसानी से ज्ञात हो सके।

17. गन्ने की किस्म, बीज गन्ने की गुणवत्ता एवं विक्रय मूल्य आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित कृषक का पंजीकरण

निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। ऐसी शिकायतों पर जांच एवं विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित बीज उत्पादन अधिकारी/जिला गन्ना अधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे। बीज गन्ने/सीडलिंग की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर के वैज्ञानिकों का सहयोग लिया जा सकेगा।

18. किसी बीज गन्ना उत्पादक द्वारा बीज उत्पादन अधिकारी/जिला गन्ना अधिकारी के स्तर से कृत कार्यवाई से असहमत होने पर उक्त कार्यवाई के विरूद्ध सम्बन्धित उप गन्ना आयुक्त के स्तर पर प्रथम अपील की जा सकेगी। उप गन्ना आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के समक्ष की जायेगी तथा गन्ना आयुक्त, उ.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।

उपर्युक्तानुसार अवमुक्त गन्ना किस्मों की आनुवांशिक शुद्धता, रोग एवं कीटों के प्रभाव से बचाव सुनिश्चित करने एवं प्रदेश के गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.।

पत्रांकः 07 /सी तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ, 9 ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग–1, उ.प्र. शासन।
4. मिशन निदेशक, रा.खा.सु. मिशन, कृषि भवन लखनऊ।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, गन्ना उत्पादक जिलें, उ.प्र.।
7. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
8. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, लखनऊ।
9. मुख्य गन्ना विकास सलाहकार, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ, लखनऊ।
10. समस्त, जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
11. समस्त ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, उ.प्र.।

05.04.22
(वी.के. शुक्ल)
अपर गन्ना आयुक्त (विकास)

आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

निदेशक,

उ.प्र. गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर

द्वारा उचित माध्यम।

विषयः– **बीज गन्ना उत्पादक कृषक के रूप में पंजीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मैं.....
पुत्र.....ग्राम.....,जिला.....
का/की एक प्रगतिशील कृषक हूँ और सहकारी गन्ना विकास समिति लि.,.....
.....का/की वैधानिक सदस्य हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं गन्ना खेती कर रहा हूँ तथा गन्ना समिति के माध्यम से सम्बन्धित चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करता हूँ/करती हूँ। मैं गन्ने की खेती से जुड़ी तकनीकी विधियों से भिज्ञ हूँ।

मैं गन्ना विकास विभाग द्वारा संस्तुत उन्नत एवं नवीन किस्मों का स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज तैयार कर निकटवर्ती कृषकों को विक्रय किये जाने हेतु प्रमाणित बीज गन्ना विक्रेता बनना चाहता हूँ/चाहती हूँ। मेरे द्वारा प्रमाणित स्रोतों यथा–शोध संस्थान/विभाग से गन्ने का बीज प्राप्त कर अपने खेत पर वैज्ञानिकों एवं विभागीय अधिकारियों की देख–रेख में बीज गन्ना एवं नर्सरी पौध तैयार की जाएगी। उत्पादित बीज गन्ना/सीडलिंग का विक्रय दूसरे किसानों को गन्ना आयुक्त, उ.प्र. द्वारा निर्धारित दरों पर सुनिश्चित किया जायेगा। मेरे द्वारा आगामी शरदकालीन/बसंतकालीन गन्ना बुआई वर्ष..... में निम्नानुसार किस्मों का बीज तैयार किया जाना प्रस्तावित हैः–

वास्ते पेराई सत्र.....

क्र.	मद	शरदकालीन	बसंतकालीन
1	गन्ना किस्म		
2	गन्ना किस्म का क्षेत्रफल		
3	विक्रय हेतु उत्पादित सीडलिंग की प्रस्तावित संख्या (सीडलिंग के रूप में विक्रय हेतु)		

4	उत्पादित बीज की मात्रा (कु.) (गन्ने की मात्रा के रूप में विक्रय हेतु)		

आवेदक

कृषक का नाम.....

पिता का नाम.....

सहकारी गन्ना समिति का नाम.....

कृषक का यूजीसी कोड.....

100/–रूपये (रू.एक सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र

1. मैं .....निवासी .....जिला..... .....सहकारी गन्ना विकास समिति लि.....का विधिवत् सदस्य हूँ तथा बिना किसी दबाव के अपनी स्वेच्छा से यह वचन देता हूँ कि "मेरे द्वारा बीज गन्ना विक्रेता के रूप में विभाग द्वारा पंजीकृत किये जाने के उपरान्त स्वीकृत गन्ना किस्मों के बीज गन्ना/गन्ने की सीडलिंग का उत्पादन एवं विक्रय उसी किस्म के रूप में ही कृषकों को किया जायेगा जिस किस्म के रूप में वह सम्बन्धित शोध संस्थान/सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया है। मेरे द्वारा उत्पादित बीज गन्ना/गन्ना सीडलिंग के वितरण पर विक्रय मूल्य के रूप में वही मूल्य क्रेता कृषक से लिया जायेगा, जिसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी (गन्ना आयुक्त, उ.प्र.) द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया गया हो। किसी किस्म को छद्म रूप से किसी अन्य लोकप्रिय एवं नव विकसित दूसरी किस्म के रूप में बीज गन्ना का विक्रय नहीं करूंगा। उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत मिलने पर मेरे विरूद्ध कार्यवाई के लिए गन्ना विकास विभाग बीज अधिनियम, 1966 में वर्णित व्यवस्था तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों एवं नियमों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।"

शपथकर्ता

कृषक का नाम.....

पिता का नाम.....

सहकारी गन्ना समिति का नाम.....

कृषक का यूजीसी कोड.....

नोटरी द्वारा सत्यापित